

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1075 / गोपनीय / 2025
दो-2-7 / 57

जबलपुर, दिनांक 26 जून, 2025

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री आमोद आर्य, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के निवेदनानुसार, उनकी सेवा-पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में, उनकी शैक्षणिक योग्यता में LL.M. की उपाधि अंकित करने की अनुमति एतद्वारा प्रदान करता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


26/6/25

(धरमिन्दर सिंह)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 1076 / गोपनीय / 2025
दो-2-7 / 57

जबलपुर, दिनांक 26 जून, 2025

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को उनके पृष्ठांकन क्रमांक 1879 / दो-12-54 / 2010, दिनांक 17 / 18-06-2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 श्री आमोद आर्य, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा को उनके आवेदन पत्र क्रमांक 846 / 2023, दिनांक 02.12.2023 एवं क्रमांक 238 / 2025, दिनांक 16.05.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 रजिस्ट्रार (I.T.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 जे.जे.ए., गोपनीय शाखा / सीनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट, गोपनीय शाखा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को क्रमशः सेवा-अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) / 2018/368, दिनांक 01 / 03 / 2018 के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


26/6/25

(धरमिन्दर सिंह)

रजिस्ट्रार जनरल

54